लोक सुनवाई का वृत।

श्री कुमार हर्ष, पिता–शिव शंकर सिंह, ग्राम–निरसा हाई स्कूल के पीछे भमाल, हेरीअजम, धनबाद, निरसा चदी, झारखण्ड द्वारा सोन नदी बालु घाट–07, ग्राम–पुरानंबीगहा, ब्लॉक एवं थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 23.06.2023 को अपराह्न 01:30 बजे प्रखण्ड सभागार, दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2082/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, औरंगाबाद (जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 23.06.2023 को अपराह्न 01:30 बजे प्रखण्ड सभागार, दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 10.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा औरंगाबाद सोन नदी बालु घाट–07, ग्राम–पुरानंबीगहा, ब्लॉक एवं थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमीर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार, पिताः श्री रामाधार सिंह, ग्रामः पुरानंबीगहा, जिलाः औरंगाबाद।	इनके द्वारा स्थानीय लोगो को रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख--रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री सुरेन्द्र कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

2.	श्री विक्की कुमार, पिताः श्री अशोक कुमार, ग्रामः पुरानंबीगहा, जिलाः औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू खनन गतिविधि से उत्पन्न धुल–कण को राकने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। साथ ही बच्चो को स्कुल जाने के समय बालू परिवहन से हो रहे सड़क जाम एवं दुधर्टना होने के संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार टैंकर के द्वारा जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। साथ ही बच्चों को स्कुल जाने एवं आने के समय बालू लदे वाहनो का संचालन नहीं किया जायेगा। इसप्रकार श्री विक्की कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री विश्वनाथ सिंह, पिताः बालेश्वर सिंह, ग्रामः पुरानंबीगहा, जिलाः औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू उत्खनन के दौरान कितने पेड़–पौधे लगाये जायेगें; इस संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 400 पेड़–पौधा लगाना है। इसप्रकार श्री विश्वनाथ सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री मोहन चौधरी, पिताः चुड़ावन चौधरी, ग्रामः पुरानंबीगहा, जिलाः औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान सड़क टूटने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मती लेसी को करना है। इसप्रकार श्री मोहन चौधरी को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

5.	श्री सुभाष कुमार, पिताः चन्द्रदेव सिंह, ग्रामः पुरानंबीगहा, जिलाः औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान वायु प्रदूषण की रोक–थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि **वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। **जल प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर से ज्यादा नही करेगें। **ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया। इसप्रकार श्री सुभाष कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
6.	श्री सुशील कुमार सिंह, ग्रामः पुरानंबीगहा, जिलाः औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू खनन से हमलोगो को क्या लाभ मिलेगा; इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री सुशील कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

7.	श्री शिवजी यादव, पिताः रामशकल सिंह, ग्रामः पुरानंबीगहा, जिलाः औरंगाबाद।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन के दौरान उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण का कौन देख–रेख करेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावक के द्वारा प्रत्येक छः माह पर पर्यावरणीय जॉच प्रतिवेदन को सक्षम प्राधिकार एवं जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसप्रकार श्री शिवजी यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा। अगर बालू परिवहन के दौरान किसी प्रकार की असामयिक दुर्धटना होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस क्रम में दिनांकः 15.08.2021 के नये अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

23.6.23	23.6.23
क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया	अपर समाहर्त्ता औरंगाबाद

उपस्थिति सूची

श्री कुमार हर्ष, पिता–शिव शंकर सिंह, ग्राम–निरसा हाई स्कूल के पीछे भमाल, हेरीअजम, धनबाद, निरसा चदी, झारखण्ड द्वारा सोन नदी बालु घाट–07, ग्राम–पुरानंबीगहा, ब्लॉक एवं थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 23.06.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रखण्ड सभागार, दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ashish Kumar Sinha	ADM, Aurangabad	[signature] 23-6-23
2.	Manoranjan Kumar Singh	R.O, B.S.P.C Board Gaya	[signature] 23.6.23
3.	Vikash mishra	Sr manager Rian Enviro Pvt Ltd	[signature] 23/6/23
4.	Amir Akhtar	Rian Enviro Pvt Ltd. Patna	[signature] 23/6/23
5.	राजकिशोर	Purana Bigha	[signature]
6.	Rakesh Kumar	Purana Bigha Daudnagar	[signature]
7.	अमीत कुमार	पुरानाबिघा दाउदनगर	अमीत कुमार
8.	सुरेन्द्र कुमार	ग्राम पुरानी बिगहा थाना – दाउदनगर जिला – औरं 7250999822	सुरेन्द्र कुमार
9.	देवानन्द सिंह	ग्राम पु० बी० बिगहा औरंगाबाद	देवानन्द सिंह

10.	सुभाष यादव	पूर्णाबिगहा थाना दाउदनगर औरंगाबाद 6200830519	सुभाष यादव
11.	कृष्ण कुमार	पूर्णा बिगहा दाउदनगर औरंगाबाद 7543878272	कृष्ण कुमार
12.	मिथिलेश कुमार	पूर्णा बिगहा दाउदनगर औरंगाबाद 9693036782	मिथिलेश कुमार
13.	विश्वनाथ सिंह	पूर्णा बिगहा दाउदनगर औरंगाबाद 8294396044	विश्वनाथ सिंह
14.	विक्की कुशवाहा	पूर्णा बिगहा दाउदनगर औ० 7449485142	Vicky kum
15.	जयराम सिंह	पूर्णा बिगहा दाउदनगर औरंगाबाद	जयराम सिंह 7781834524
16.	सुशील कुमार सिंह	पूर्णा बिगहा दाउदनगर औरंगाबाद	सुशील कुमार सिंह 9771288251
17.	मोहन चौधरी	पूर्णा बिगहा दाउदनगर	मोहन चौधरी
18.	सिंहासन सिंह	पुरान बिगहा दाउदनगर	सिंहासन सिंह
19.	भोला चौधरी	पुरान बिगहा दाउदनगर	भोला चौधरी
20.	प्रकाश चौधरी	पुरना बिगहा दाउदनगर	प्रकाश चौधरी

21.	सुदर्शन चौधरी	पुरनाबिगहा दाउदनगर	सुदर्शन चौ
22.	हरिनारायण चौ	पुरना बिगहा दाउदनगर	हरिनारायण चौ
23.	करण कुमार	पुरना बिगहा दाउदनगर	करण कुमार
24.	लवकुश शर्मा	चौरम दाउदनगर 9472986679	Lakhan Kumar
25.	शुलेश्वर राय	पुरना बिगहा दाउदनगर 6200745945	शुलेश्वर राय
26.	सिटी यादव	पुरानी बिगहा दाउदनगर औरंगाबाद 7765046030	Sity Yadav
27.	पंकज कुमार	पुरनाबिघा	पंकज
28.	Pappu yadav	Purnabigha Daudnagar 8235138798	[illegible]
29.	Ajit Kumar	Umarchak Daudnagar 9110060021	[illegible]
30.	रामजी सिंह	9006511447 ठाकुर बिगहा अंछा	रामजी सिंह
31.	[illegible]	9031314930 दाउदनगर औरंगाबाद	[illegible]